

आलय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान

रामरतन

बनाम

शिमलाबाई

किस्म मुकद्दमा

धारा - 225

मि. नं.


2021/133

सन्

अभिभाषक अपीलान्त

श्री ओम नारायण

अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-10-22	<p>पत्रावली पैदा हुई। अपीलान्त एवं अभिभाषक अपीलान्त को तीन बार रूक रूक कर आवेज लगवाई गई। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा रैस्पॉन्डेंट गण की नोटिस तामील आदिनांक तक नहीं करवाई गई। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

श्री अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)



श्री ओम प्रसाद एस डी
दिनांक 2.11.21 कोपे शही गरी.
P.O. सा. का. 2/बारां तहसील बारां
काका परमिट हो 1 जू
2/5 25

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

कोटा कैम्प बारां

रामरतन पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी गजनपुरा तह0 व जिला

बारां राज0

----- अपीलान्ट

बनाम

आद जांच रिपोर्ट पेश 321
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

- 1- शिमलाबाई पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी हाल
हिांगोनिया तहसील बारां
- 2- रेखा उर्फ लक्ष्मी पुत्री रामरतन नाबालिग जयें वली / वादमित्र माता
शिमलाबाई पत्नी रामरतन जाति मीणा नि0 हिांगोनिया
- 3- बनारसीबाई बेवा देवकरण जाति मीणा
- 4- अरविन्द पुत्र देवकरण जाति मीणा
- 5- मुकेश पुत्र देवकरण जाति मीणा
- 6- नरेश पुत्र देवकरण जाति मीणा
- 7- राजू पुत्र देवकरण जाति मीणा
- 8- संतोषा पुत्री देवकरण जाति मीणा निवासी गण गजनपुरा
तहसील बारां जिला बारां
- 9- कांतिबाई पुत्री छीतरलाल जाति मीणा पत्नी गिराज निवासी
नवलपुरा तहसील मांगरोल
- 10- मनभार पुत्री छीतरलाल पत्नी लैखाराज जाति मीणा निवासी
जलोदा छातियान तहसील मांगरोल
- 11- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां

----- रेस्पोंडेन्स

रामरतन

(Signature)

अपील बनाराजगी निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय बारां
निर्णय दिनांक 28-9-2018 , प्रकरण सं० 69/2014
बउनवान शिमलाबाई बनाम मृतक देवकरण वगैरा
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटी. एक्ट

मान्यवर,

अपीलांत निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत करता है:-

- 1- यहकि अधिनस्था न्यायालय द्वारापारित निर्णय दिनांक 28-9-2018 न्याय कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2- यहकि रेस्पोंडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा एक वाद अधिनस्था न्यायालय में पेश किया गया जिसमें वाके माल ग्राम गजनपुरा की खाता संख्या 47 जमाबंदीसम्मत 2066-2069 के अनुसार आराजी खासरा नं० 40 रकबा 0.24 हेक्टे०, खासरा नं० 47 रकबा 0.40 हेक्टे० खासरा नं० 48 रकबा 0.10 हेक्टे० खासरा नं० 73 रकबा 0.13 हेक्टे० खासरा नं० 269 रकबा 0.12 हेक्टे० खासरा नं० 328 रकबा 0.37 हेक्टे० खासरा नं० 368 रकबा 1.66 हेक्टे० खासरा नं० 404 रकबा 1.66 हेक्टे० खासरा नं० 515 रकबा 2.15 हेक्टे० खासरा नं० 556 रकबा 1.04 हेक्टे० खासरा नं० 627 रकबा 3.07 हेक्टे० खासरा नं० 628 रकबा

रामरत्न

